राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 40(7)ग्रावि/नरेगा/सा.पत्रा/2010 जयपुर, दिनांक 11 NOV 2011

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नवीन कुआं निर्माण/ कुआं गहरीकरण के कार्यो के संबन्ध में।**

संदर्भ :– **कार्यालय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 12.09.2011**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यो में सिंचाई सुविधा हेतु नवीन कुआं निर्माण/ कुआं गहरीकरण के संबन्ध में जिलों से जानकारी चाही जाती रही है। इस संबन्ध में उक्त संदर्भानुसार स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये जा चुके है कि **योजनान्तर्गत जिन क्षेत्रों में कुंओं से सिंचाई Prevailing practice है वहॉ पर अपना खेत अपना काम के दिशा निर्देशों के अनुसार कुंआ निर्माण/गहरीकरण के कार्य कराए जा सकते** है (प्रतिलिपि संलग्न)। विभाग द्वारा व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों के संबन्ध में जारी **"अपना खेत अपना काम" दिशा निर्देशों में भी इसका उल्लेख** किया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों के संबन्ध में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यो के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को समस्त कार्यों पर अधिकतम ₹ 1.50 लाख तक का ही व्यय अनुमत है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 1 के उप पैरा (iv) में दिनांक 18 जून, 2008 को किये गये संशोधन के अनुरूप **व्यक्तिगत लाभार्थी की प्रत्येक परियोजना (कार्य) पर सामग्री मद में अधिकतम 40 प्रतिशत वहन** किया जा सकता है। अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि **व्यक्तिगत लाभार्थी के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी के लिए ₹ 1.50 लाख से अधिक के कार्य स्वीकृत नही किये जावें एवं सामग्री मद में व्यय 40 प्रतिशत से अधिक नही हो।** सामग्री मद में **अधिक व्यय होने की स्थिति में यह व्यय लाभार्थी स्वयं द्वारा वहन किया जायेगा।**

चूंकि कुआं निर्माण कार्य में सामग्री के साथ–साथ कुशल श्रमिकों जो कि सामग्री मद का ही हिस्सा है, की आवश्यकता अधिक होती है, ऐसी स्थिति में सामग्री मद में व्यय 40 प्रतिशत से अधिक होना लाजमी है। अतः **जहां तक संभव हो कुंआ निर्माण के स्थान पर फार्म पौण्ड, खेत तलाई इत्यादि अन्य वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जहां पर खेत के पानी को एकत्र कर सिंचाई के लिए काम में लिया जा सकता है, जैसे कार्यो के लिए प्रोत्साहित किया जावे।**

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

11/11/11
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 40(7)ग्रावि/नरेगा/सा.पत्रा/2010 जयपुर, दिनांक 12 SEP 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नवीन कुंआ निर्माण/ कुंआ गहरीकरण के कार्यों के संबन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों में सिंचाई सुविधा हेतु नवीन कुंआ निर्माण/ कुंआ गहरीकरण के संबन्ध में जिलों से जानकारी चाही जाती रही है। इस संबन्ध में लेख है कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी पत्रांक जे–14032/3/2009–नरेगा दिनांक 28.08.2009 में स्पष्ट किया गया है कि योजनान्तर्गत नवीन कुंआ निर्माण/ कुंआ गहरीकरण के कार्य सम्पादित कराये जा सकते है (प्रति संलग्न)। केन्द्र सरकार के उक्त पत्र एवं अपना खेत अपना काम योजना के दिशा निर्देश दिनांक 4 व 27 मई, 2011 के कम में योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों में सिंचाई सुविधा हेतु नवीन कुंआ निर्माण/ कुंआ गहरीकरण के संबन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

- केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) के दिशा निर्देशों के अनुसार डार्क जोन में कुंआ नही खोदें जावें एवं ना ही कुंआ का गहरीकरण का कार्य अनुमत किया जावे।
- जिन क्षेत्रों में कुंओं से सिंचाई Prevailing practice है वही पर अपना खेत अपना काम के दिशा निर्देशों के अनुसार कुंआ निर्माण/गहरीकरण के कार्य कराए जा सकते है।
- व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को समस्त कार्यों पर अधिकतम रू. 1.50 लाख तक का ही व्यय अनुमत है एवं इसके तहत सामग्री मद में अधिकतम 40 प्रतिशत वहन किया जा सकता है। श्रम व सामग्री का अनुपात 60:40 प्रत्येक पखवाडे से ही संधारित किया जावे। सामग्री मद में 40 प्रतिशत से अधिक व्यय लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जावे। यदि लाभार्थी सामग्री मद पर होने वाले अधिक व्यय को वहन करने को तैयार नही है तो कार्य स्वीकृत नही किये जावें।
- जिन क्षेत्रों में पानी सिंचाई योग्य नहीं है, उन क्षेत्रों में नवीन कुंआ निर्माण व कुंआ गहरीकरण का कार्य स्वीकृत नही किया जावे।
- कार्य स्वीकृति से पूर्व लाभार्थी से यह वचन/शपथ पत्र ले लिया जावे कि अधिक व्यय को लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा व कार्य बीच में अपूर्ण नही छोडा जायेगा। यदि कार्य अपूर्ण छोडा जायेगा तो योजना में सरकार द्वारा वहन की गई राशि वह वापिस लौटायेगा।

- कुंआ खुदाई का कार्य जोखिम भरा होता है इसलिए यह कार्य सावधानीपूर्वक सम्पन्न हो सके, यह सुनिश्चित किया जावें। कार्य सम्पादन के दौरान प्रत्येक पखवाडे के मध्य एक बार तकनीकी अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से कार्य का निरीक्षण किया जावे।
- पूर्व से विद्यमान कुंओं के गहरीकरण के लिए वर्तमान कुंए की नाप व इसकी वर्तमान स्थिति का स्पष्ट इन्द्राज कार्य की पत्रावली, माप पुस्तिका व तकमीने में स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा एवं इसे कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं सहायक अभियन्ता द्वारा भी सत्यापित किया जायेगा।
- जहां तक संभव हो कुंआ निर्माण के स्थान पर फार्म पौण्ड या अन्य वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जहां पर खेत के पानी को एकत्र कर सिंचाई के लिए काम में लिया जा सकता है, जैसे कार्यो के लिए प्रोत्साहित किया जावे।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

भवदीय

9/3/11

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग।
4. अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि इन निर्देशों की प्रति जिले के समस्त कनिष्ठ अभियन्ता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक को भी आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें।
5. अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक जयपुर/जोधपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस